झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ

अध्याय-II

विश्वविद्यालय और प्रायोजक निकाय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना
4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और उसके अनुप्रयोग
5. विश्वविद्यालय के निर्बन्धन और दायित्व
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, या विचार से परे सभी के लिए खुला रहेगा
8. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य
9. सम्बद्धता के लिएअवरोधक
10. प्रायोजक निकाय की शक्तियाँ

अध्याय-III

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. आगंतुक
12. विश्वविद्यालय के अधिकारी
13. कुलाधिपति
14. कुलपति
15. कुलपति को हटाना
16. प्रति कुलपति

17. कुलसचिव

18. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

19. अन्य अधिकारी

अध्याय-IV

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

20. विश्वविद्यालय के प्राधिकार

21. शासी निकाय

22. प्रबंधक मण्डल

23. अकादमिक परिषद्

24. वित्त समिति

25. अन्य प्राधिकार

26. किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के लिए निरर्हता

27. रिक्तियाँ से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के गठन या कार्यवाहियों में अविधि मान्य न होना

28. समितियों का गठन

अध्याय-V

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

29. परिनियम

30. परिनियमों को संशोधित करने की शक्ति

31. विनियम

32. विनियमों को संशोधित करने की शक्ति

33. अध्यादेश

34. राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्तियाँ

अध्याय-VI

विश्वविद्यालय की निधियाँ

35. अक्षय निधि

36. सामान्य निधि

अध्याय-VII

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

37. वार्षिक प्रतिवेदन

38. वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण

अध्याय-VIII

विश्वविद्यालय का समापन

39. विश्वविद्यालय का समापन

40. विश्वविद्यालय का विघटन

41. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ

अध्याय-IX

विविध

42. अस्थायी प्रावधान

43. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

44. समस्याओं को दूर करने की शक्ति

अनुसूची 'ए'

जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में जैन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए, और उसे एक निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए विधेयक;

जबकि गोला (रामगढ़), झारखण्ड में जैन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए, उसे एक निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन है, जो कि कर्नाटक से सृजित व पंजीकृत मेसर्स अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय #91/2, डॉ0,ए0,न0, कृष्णा राव रोड, वी0 वी0 पुरम, बेंगलूरु–560 004 है; क्षेत्रीय कार्यालय- डी0 28 दानिश आर्केड, एशियन इन होटल के सामने , धतकीडीह, पो0-बिष्टुपुर, जमशेदपुर- 831001 (पंजीयन संख्या-बी0,स0जी0-4-00138-2009-10) है। विश्वविद्यालय एक बहु-अनुशासनात्मक संस्थान होगा, जो उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अभ्यास के प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की वास्तविक भावना को साकार करेगा।

इसे भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड का विधानसभा एतद् द्वारा अधिनियमित करता है, जो निम्नानुसार है:

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ:

   (1.) इस अधिनियम को "जैन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" कहा जाएगा।

   (2.) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3.) यह उस तिथि को लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ: इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अकादमिक परिषद्" का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद्, जैसा कि अधिनियम की धारा 23 में निर्दिष्ट है;

(ख) "वार्षिक प्रतिवेदन" का अर्थ है विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन जैसा कि अधिनियम की धारा 37 में सन्दर्भित है;

(ग) "प्रबन्धन मण्डल" का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल;

(घ) "परिसर" का अर्थ विश्वविद्यालय का कुल क्षेत्रफल है जिसमें यह स्थापित है;

(ङ) "कुलाधिपति" का अर्थ अधिनियम की धारा 13 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(च) "मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 18 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;

(छ) "अंगीभूत महाविद्यालय" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्थान से है;

(ज) "कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी है; और इसमें विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;

(झ) "अक्षय निधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 35 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की अक्षय निधि;

(ञ) "संकाय" का अर्थ समान विषयों के शैक्षणिक विभागों का समूह है;

(ट) "शुल्क" का अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम और उसके आनुषंगिक उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों से किया गया संग्रह;

(ठ) "सामान्य निधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 36 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की सामान्य निधि;

(ड) "शासी निकाय" का अर्थ है अधिनियम की धारा 21 के तहत गठित विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(ढ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्" का अर्थ है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरु, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है;

(ण) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियम और नियमों द्वारा विहित;

(त) "प्रतिकुलपति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 16 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति;

(थ) "क्षेत्रीय केन्द्र" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के काम के समन्वय और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से, और प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को करने के लिए, स्थापित या संचालित केन्द्र से है;

(द) "कुलसचिव" का अर्थ अधिनियम की धारा 17 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ध) "नियामक निकाय" का अर्थ है उच्च शिक्षा के शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मानदण्ड और शर्तें निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित निकाय, जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद्, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि, और इसमें सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित ऐसा कोई भी निकाय शामिल है;

(न) "नियम" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय के नियम;

(प) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची;

(फ) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रायोजक निकाय" का अर्थ है (i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, या (ii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक

ट्रस्ट, या (iii)किसी अन्य राज्य के कानून के तहत पंजीकृत एक सोसायटी या ट्रस्ट, अथवा (iv)कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत निगमित कम्पनी या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित कम्पनी;

(ब) "राज्य सरकार" का अर्थ है झारखण्ड सरकार;

(भ) "परिनियम", "अध्यादेश", और "विनियम" का अर्थ क्रमशः इस अधिनियम के तहत निर्मित विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम हैं;

(म) "विश्वविद्यालय के विद्यार्थी" का अर्थ विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री सहित विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से स्थापित डिग्री, डिप्लोमा, या अन्य अकादमिक विशिष्टता के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति से है;

(य) "अध्ययन केन्द्र" का अर्थ है विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या कोई अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संचालित या मान्यता प्राप्त केन्द्र;

(क क) "शिक्षक" का अर्थ है एक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में अथवा अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान में, जिनमें अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान के प्राचार्य शामिल हैं, शिक्षण या शोध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया गया हो;

(ख ख) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

(ग ग) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत स्थापित जैन विश्वविद्यालय, झारखण्ड;

(घ घ) "कुलपति" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(ङ ङ) "आगंतुक" का अर्थ है अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के "आगंतुक" ।

अध्याय-II

विश्वविद्यालय और प्रायोजक निकाय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:

(1.) 'जैन विश्वविद्यालय' नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2.) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के भीतर होगा और रामगढ़, जिला में स्थित होगा।

(3.) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद ही विश्वविद्यालय संचालन शुरू करेगा।

(4.) विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर अधिनियम की अनुसूची 'ए' में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा।

(5.) शासी निकाय, प्रबन्धन मण्डल, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी, जब तक वह विश्वविद्यालय के पद पर या सदस्य बने रहते हैं, तब तक वे विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(6.) विश्वविद्यालय गैर-सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्थान को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने और उसमें प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देने के लिए सम्बद्ध नहीं करेगा।

(7.) विश्वविद्यालय 'जैन विश्वविद्यालय' नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसके पास शास्वत उत्तराधिकार होगा, और इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पत्ति के अधिग्रहण और उसका स्वामित्व रखने, अनुबंध पर देने आदि की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह दिए गए नाम पर वाद चला सकेगा, या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(8.) विश्वविद्यालय को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कोई सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी।

परंतु कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जिसमें अनुदान या अन्य शामिल हैं, अर्थात्-

(i.) अनुसंधान, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार के अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;या

(ii.) किसी विशिष्ट शोध या कार्यक्रम आधारित गतिविधि के लिए; तथा

(iii.) राज्य में समान विश्वविद्यालयों के लाभ के लिए राज्य की नीति में बदलाव के अधीन या अन्यथा।

इसके साथ ही यह भी कि विश्वविद्यालय को किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और उसके अनुप्रयोग:

(1.) विश्वविद्यालय की स्थापना पर, झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित, व्यवस्थित, निर्मित और विकसित अन्य चल एवं अचल सम्पत्ति और भूमि विश्वविद्यालय में निहित होगी।

(2.) विश्वविद्यालय के लिए अर्जित भूमि, भवन और अन्य सम्पत्तियाँ जिस उद्देश्य से अर्जित की गई हैं उसके अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाऐंगी।

(3.) प्रबन्धन मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्तियों को इस प्रकार से प्रशासित किया जाएगा, जैसा कि अधिनियमों द्वारा प्रदत्त किया गया हो।

(4.) उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय के विघटन या समापन की स्थिति में विश्वविद्यालय की देनदारियों को पूरा करने के लिए उस तरह से उपयोग में लाया जाएगा, जैसा कि नियमों द्वारा विहित है।

5. विश्वविद्यालय के निर्बन्धन और दायित्व:

(1.) विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्धन आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षा शुल्क राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर अधिसूचित नियामक संस्था के पर्यवेक्षण के तहत निर्धारित किया जाएगा।

(2.) विश्वविद्यालय में प्रवेश सभी व्यक्तियों के लिए खुले होंगे, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, पंथ, लिंग या राष्ट्र के हों। विश्वविद्यालय में प्रवेश योग्यता और/या सामाजिक-आर्थिक असुविधा के आधार पर होगा।

(3.) विश्वविद्यालय ग़रीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम-से-कम पाँच प्रतिशत को छात्रवृत्ति/शुल्क माफी की अनुमति देगा। ग़रीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक मानदण्ड ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।

(4.) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1198, दिनांक-05.08.2019 का प्रावधान लागू होगा।

(5.) विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(6.) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हर संसूचना जो विद्यार्थियों एवं अन्य हितधारकों के महत्त्व की होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित पाठ्यक्रम, शुल्क एवं अन्य मूल्य, सुविधाएँ और सहूलियतें शामिल हैं, और ऐसी अन्य प्रासंगिक संसूचना विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से सार्वजनिक डोमेन में जारी करेगा।

(7.) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।

(8.) डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीति से आयोजित किए जा सकते हैं।

(9.) विश्वविद्यालय सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों से प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

(10.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य वैधानिक निकायों के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढाँचे, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के होने के बाद ही विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का नामांकन प्रारम्भ करेगा।

(11.) इस अधिनियम में शामिल किसी भी बात के बावजूद, विश्वविद्यालय इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार और राज्य सरकार की नियामक संस्थाओं के सभी नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का पालन करने और ऐसे निकायों को वह सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने और अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य: विश्वविद्यालय का उद्देश्य, ज्ञान का प्रसार एवं अभिवृद्धि करना, लोगों के बीच क्षमता एवं कौशल का निर्माण करना और भारत के संविधान के स्वप्न को साकार करने में योगदान करना होगा। वह ऐसा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से करेगा जिनमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण, अनुसंधान, आउटरीच और अन्य कार्य शामिल हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों के क्षेत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा चुना जाएगा और इसमें अन्य क्षेत्रों में से सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल होंगे।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग,पंथ या विचार से परे सभी के लिए खुला रहेगा: लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान और धार्मिक मान्यता या राजनीतिक या अन्य मान्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या उसके किसी भी प्राधिकरण की सदस्यता से या किसी डिग्री, डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी किसी अन्य विशिष्ट उपाधि में परिणित होने वाले अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से भेदभाव या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य:

i. विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबन्धन करना और झारखण्ड राज्य के भीतर अपने परिसर में सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग के साथ

अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार और आउटरीच के लिए अपने अंगीभूत महाविद्यालयों और केन्द्रों की स्थापना, प्रशासन और प्रबन्धन करना;

ii. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों और किन्हीं अन्य क्षेत्रों या अनुशासनों में सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग के साथ अनुसंधान, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, विस्तार एवं आउटरीच प्रदान करना;

iii. शैक्षिक प्रौद्योगिकियों और शिक्षण एवं अधिगम विधियों में अभिनव प्रयोग संचालित करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना और शिक्षा के वितरण में निरन्तर सुधार करने तथा शिक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्थानों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों की पेशकश करना;

iv. इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरस्थ शिक्षा के साथ पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं और कार्य-प्रणालियों का निर्धारण करना और शिक्षा के वितरण में लचीलापन प्रदान करना;

v. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन परीक्षा आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करना या प्रमाण-पत्र और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधि या पदवी देना और विनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसी किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधि या पदवी को वापस लेना या रद्द करना;

vi. फेलोशिप, छात्रवृति,पदक एवं पुरस्कार स्थापित करना व प्रदान करना;

vii. परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना;

viii. विद्यालयों, केन्द्रों, संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थापना करना और ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम संचालित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

ix. शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य के क्षेत्रों में योगदान देने के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु बच्चों के लिए विद्यालयों एवं सामान्य जनता के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करना व उनका संचालन करना;

x. अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समितियों, न्यासों और निकायों की स्थापना एवं संचालन करना;

xi. शिक्षा प्रदान करने वाले किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना,जो कि विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो या इसी प्रयोजन से नया अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान स्थापित करना;

xii. शोध, शैक्षिक सामग्री और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रकाशन और पुनरुत्पादन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना;

xiii. ज्ञान संसाधन केन्द्र स्थापित करना;

xiv. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों और किसी अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करना व प्रारम्भ करना;

xv. समान एवं समरूप उद्देश्यों वाले किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर कार्य करना या उससे सम्बद्ध होना;

xvi. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से आभासी परिसर समेत परिसरों की स्थापना करना;

xvii. सक्षम प्राधिकरणों से पेटेण्ट, डिजाइन अधिकार और ऐसे या इसी तरह के अधिकारों की श्रेणी में अनुसंधान शुरू करना और इस तरह के अनुसंधान के सम्बन्ध में पंजीकरण प्राप्त करना;

xviii. विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, संकायों एवं कर्मचारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से और सामान्यत: ऐसी रीतियों से जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हो सकती हैं विश्व के किसी भी हिस्से के ऐसे शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना या उनसे सम्बन्ध बनाए रखना जिसके उद्देश्य पूर्णत: या आंशिक रूप से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप हों;

xix. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श और इसी तरह की अन्य सेवाएँ प्रदान करना;

xx. विश्वविद्यालय की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा, प्रबन्धन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सहबद्ध क्षेत्र के संकायों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और प्रक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध विकसित करना एवं बनाए रखना;

xxi. महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करना, जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

xxii. विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और वित्तीय प्रबन्धन करना एवं खातों का रख-रखाव करना;

xxiii. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए व्यापार, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य स्रोत से हस्तानान्तरण या उपहार, दान, चन्दे या वसीयत के रूप में धन, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपकरण, सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधन प्राप्त करना;

xxiv. विद्यार्थियों के लिए सभागार ,छात्रावास, शिक्षक एवं कर्मचारियों के निवास के लिए आवास की स्थापना करना और उनका प्रबन्धन व रखरखाव करना;

xxv. खेल, सांस्कृतिक, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रों, संकुलों, सभागार, भवनों, स्टेडियम का निर्माण करना, उनका प्रबन्धन एवं रखरखाव करना;

xxvi. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, संकायों और कर्मचारियों के निवास का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना एवं अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

xxvii. परिनियमों द्वारा विहित किए जाने वाले शुल्क एवं इसी प्रकार के अन्य प्रभार को निर्धारित करना, उनकी माँग करना, उन्हें प्राप्त या वसूल करना;

xxviii. फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कार प्रदान करना व स्थापित करना;

xxix. किसी भी भूमि या भवन या कार्यों-जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो सकते हैं-को विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर खरीदना या पट्टे पर लेना या उपहार, वसीयत, विरासत या अन्य रूप से स्वीकार करना और ऐसे किसी भी भवन या कार्य को निर्मित करना या उसमें परिवर्तन करना और उसका रख रखाव करना;

xxx. विश्वविद्यालय की चल या अचल, सम्पत्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या निपटान करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझता हो और जो उसके हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के अनुरूप हों;

xxxi. वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों, चेक और अन्य परक्राम्य दस्तावेजों को आहरित करना और स्वीकार करना, बनाना और समर्थन करना, छूट देना और तय करना;

xxxii. ऋण-पत्रों, गिरवी, वचन-पत्रों या अन्य दायित्वोंया प्रतिभूतियों पर या विश्वविद्यालय की सभी या किसी भी सम्पत्ति और परिसम्पत्ति के आधार पर या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धन जुटाना व उधार लेना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझता हो, और सभी व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधि से करना;

xxxiii. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षाओं या विद्यालयों या केन्द्रों को बन्द करना और स्थगित करना, यदि ऐसा करना उसे उपयुक्त लगता हो;

xxxiv. विश्वविद्यालय की निधि या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन या ऐसी प्रतिभूतियों में उस तरह से निवेश करना जैसे विश्वविद्यालय को उपयुक्त लगता हो और समय-समय पर आवश्यकतानुसार किसी भी निवेश को स्थानान्तरित करना;

xxxv. समय-समय पर ऐसे परिनियमों व नियमों को बनाना जो विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और मामलों को विनियमित करने और उन्हें बदलने, संशोधित करने और रद्द करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं;

xxxvi. विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर गतिविधियों के प्रावधान बनाना;

xxxvii. शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन-जो कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं-पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान जैसी योजनाएँ बनाना, जो उपयुक्त लगती हों और ऐसे अनुदान देना जो विश्वविद्यालय की समझ से उसके किसी भी कर्मचारी के लाभ के लिए उपयुक्त हों और संघों, संस्थानों, निधि, न्यासों की स्थापना और समर्थन में सहायता करना और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए गणना किए गए संवहन की स्थापना और समर्थन में सहयोग करना;

xxxviii. संकायों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित व संचालित करना;

xxxix. सरकार के पूर्व-अनुमोदन से किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान(नों) का अर्जन करना और अधिग्रहण करना व उनका संचालन करना;

xl. यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय के कुलपति याप्रति कुलपति या किसी समिति या किसी उप-समिति या किसी एक या अधिक सदस्यों या अपने निकाय को या अपने अधिकारियों को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;

xli. ऐसे अन्य सभी कार्य और चीज़ें करना जो विश्वविद्यालय उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी की प्राप्ति या वृद्धि के लिए आवश्यक, अनुकूल या प्रासंगिक समझे।

9. सम्बद्धता के लिए अवरोधक:

(1.) विश्वविद्यालय सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त किसी महाविद्यालय या संस्थान को मंजूर नहीं करेगा।

(2.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार या राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित ऐसे नियामक निकाय, जिससे भी सम्बन्धित मामला हो, के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही विश्वविद्यालय झारखण्ड राज्य में या उसके बाहर परिसर से इतर, अपतटीय परिसर और अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र खोल सकता है:

परन्तु ऐसा कोई भी अनुमोदन किसी भी अधिदेशित कानून के तहत अनिवार्य हो:

(3.) दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे नियामक निकाय के पूर्व अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जा सकता है;

परन्तु ऐसा कोई भी अनुमोदन किसी भी अधिदेशित कानून के तहत अनिवार्य हो।

10. प्रायोजक निकाय की शक्तियाँ: विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में प्रायोजक निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग प्रायोजक निकाय द्वारा अपने विवेक से किया जा सकता है, अर्थात् :-

(i.) कुलाधिपति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति समाप्त करना;

(ii.) विश्वविद्यालय के पहले शासी निकाय का गठन करना;

(iii.) शासी निकाय के अध्यक्ष को नामित करना;

(iv.) शासी निकाय के सदस्यों के रूप में तीन व्यक्तियों को नामित करना;

(v.) प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के रूप में दो व्यक्तियों को नामित करना;

(vi.) अक्षय निधि में अभिदान की जाने वाली निधियों के स्रोत का निर्धारण करना;

(vii.) विश्वविद्यालय द्वारा धन के खर्च और अनुप्रयोग का निर्धारण करना;

(viii.) इस अधिनियम में प्रविहित तरीके के अनुसार शासी निकाय की बैठक में किसी विवाद को हल करना।

अध्याय-III

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. आगंतुक :

(1.) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के आगंतुक होंगे।

(2.) आगंतुक –जब उपस्थित हो–डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, पदवी और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3.) आगंतुक को विश्वविद्यालय के शिक्षण, अनुशासन, मर्यादा और उचित कामकाज के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी संस्थान का दौरा करने का अधिकार होगा।

12. विश्वविद्यालय के अधिकारी: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रतिकुलपति

(घ) कुलसचिव

(ङ) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएँ।

13. कुलाधिपति:

(1.) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रयोजित निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए और ऐसे नियमों व शर्तों पर होगी जो निर्धारित है। अवधि की समाप्ति पर कुलाधिपति को प्रायोजित निकाय द्वारा पुनःनियुक्त किया जा सकता है।

(2.) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे।

(3.) कुलाधिपति शासी निकायों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और जब आगंतुक उपस्थित न हों तो डिग्री, डिप्लोमा और शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4.) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय के प्रमुख को सम्बोधित कर हस्तलिखित रूप से अपना पद त्याग सकते हैं।

(5.) कुलाधिपति के पास निम्न शक्तियाँ होंगी :

i. किसी भी संसूचना या अभिलेख की माँग करना;

ii. कुलपति की नियुक्ति करना;

iii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को पदच्युत करना; और

iv. ऐसी अन्य शक्तियाँ जो उसे इस अधिनियम या इसके तहत परिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हों।

14. कुलपति:

(1.) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा और ऐसे नियमों व शर्तों पर होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाऐं, और उसका कार्यकाल पाँच वर्षों की अवधि के लिए होगा:

परंतु कि कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपने पद के कार्यकाल या उसके विस्तार, यदि कोई हो, के दौरान 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर पद से सेवानिवृत्त हो जाऐंगे:

परंतु यह भी कि पाँच वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर कुलपति पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2.) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का उपयोग करेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों को निष्पादित करेंगे।

(3.) आगंतुक और कुलाधिपति, दोनों की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4.) यदि कुलपति की राय में किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है तो वह ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त है और ऐसे मामलों में अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उस प्राधिकरण को अवगत कराएगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का प्राधिकारी या विश्वविद्यालय में सेवारत किसी भी व्यक्ति, जो इस उप-धारा के तहत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, को यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का निर्णय उसे संसूचित किया जाता है उसके एक महीने के भीतर वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की

गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं,या उसे निरस्त कर सकते है।

(5.) कुलपति ऐसी शक्तियों का उपयोग करेंगे और ऐसे कार्यों को करेंगे जो विहित किए जाएँ।

15. कुलपति को हटाना:

(1.) यदि किसी भी समय और आवश्यक समझे जाने वाली किसी जाँच के बाद, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति:

i. इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों द्वारा या उसके तहत, उन्हें दिए गए किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, या

ii. विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल तरीकों से कार्य किया है, या

iii. विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबन्धन करने में असमर्थ हैं,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य को जानते हुए भी कि कुलपति के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कुलपति को लिखित में कारण बताते हुए आदेश द्वारा उस तारीख से अपने पद से त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकते हैं, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2.) उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशिष्ट आधारों, जिस पर ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित है, को बताते हुए एक नोटिस, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए तामील किया जाऐ और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का यथोचित अवसर दिया गया हो।

16. प्रतिकुलपति:

(1.) कुलपति के लिखित अनुमोदन से कुलपति द्वारा एक प्रतिकुलपति की नियुक्ति की जा सकेगी और वह इस तरह से और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2.) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रतिकुलपति अपने मौजूदा कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(3.) प्रति कुलपति, जब कभी भी कुलपति को आवश्यकता हो, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

(4.) प्रति कुलपति को उतनी राशि का मानदेय मिल सकता है, जो प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए।

17. कुलसचिव:

(1.) कुलसचिव की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के लिखित अनुमोदन से इस तरह से और ऐसे नियम और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2.) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्दिष्टकिए जा सकते हैं।

(3.) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रमुख मुहर की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी समस्त जानकारी और दस्तावेजों को माँग के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

18. मुख्य वित्तएवंलेखा अधिकारी:

(1.) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति के लिखित अनुमोदन से कुलपति द्वारा इस तरह से और ऐसे नियम और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2.) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

19. अन्य अधिकारी: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके और वह शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, जो परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

अध्याय-IV

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

20. विश्वविद्यालय के प्राधिकार: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :

(क) शासी निकाय;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) अकादमिक परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकार, जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किया जा सकता है।

21. शासी निकाय:

(1.) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

i. कुलाधिपति;

ii. कुलपति;

iii. झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

iv. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन व्यक्ति; तथा

v. विश्वविद्यालय से असम्बद्ध, प्रबन्धन या प्रौद्योगिकी या शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया गया हो।

vi. वित्त के एक विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया गया हो।

(2.) कुलसचिव और प्रतिकुलपति शासी निकाय में हमेशा मताधिकार रहित आमंत्रित व्यक्ति होंगे।

(3.) सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के अलावा शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल, अन्य सदस्यों की नियुक्ति, नवीनीकरण और निष्कासन आदि परिनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(4.) शासी निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता हमेशा कुलाधिपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में प्रायोजक निकाय के किसी एक नामित व्यक्ति के द्वारा की जाएगी और जहाँ प्रायोजक निकाय ने किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया है, तब कुलपति द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी।

(5.) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार और प्रमुख शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :

i. इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करके सामान्य अधीक्षण और निर्देश प्रदान करना और विश्वविद्यालय के कामकाज को संचालित करना;

ii. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा, यदि वे अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं;

iii. विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना;

iv. विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जाने वाली व्यापक नीतियों का निर्धारण करना;

v. सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के विलय के लिए प्रायोजक निकाय से अनुशंसा करना;

vi. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वांछनीय निर्णयों और कदमों को उठाना; तथा

vii. ऐसी अन्य शक्तियाँ, जो परिनियमों निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(6.) शासी निकाय की एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम एक बार परिनियमों में निर्दिष्ट तरीकों से बैठक होगी।

(7.) बैठक का कोरम बैठक में भाग लेने और मतदान करने वाले तीन सदस्यों से होगा:

परन्तु शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए कुलाधिपति या प्रायोजक निकाय के एक नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति में कुलपति कोरम बनाने के लिए हमेशा आवश्यक होंगे।

(8.) कार्यसूचियों के मुद्दों के पक्ष में कुलाधिपति द्वारा समर्थनात्मक मत के अनुसरण को छोड़कर किसी भी कार्यसूचियों के मुद्दों के सम्बन्ध में शासी

बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में कोई प्रस्ताव पारित या निर्णय नहीं लिया जाएगा।

(9.) शासी निकाय की बैठक में किसी भी मतभेद की स्थिति में, मुद्दे को प्रायोजक निकाय को भेजा जाएगा और ऐसे मुद्दों के सम्बन्ध में प्रायोजक निकाय का निर्णय अन्तिम और विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

22. प्रबन्धक मण्डल:

(1.) प्रबन्धक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(i.) कुलपति;

(ii.) प्रतिकुलपति;

(iii.) कुलसचिव;

(iv.) प्रायोजक निकाय के दो नामांकित व्यक्ति;

(v.) कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष/विद्यालय या संकाय या विश्वविद्यालय के अन्य सदस्य।

(2.) कुलपति प्रबन्धक मण्डल के अध्यक्ष होंगे।

(3.) प्रबन्धक मण्डल की शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(4.) प्रबन्धक मण्डल की बैठक के लिए कोरम ऐसा होगा, जो परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5.) प्रबन्धक मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता हमेशा कुलपति द्वारा और कुलपति की अनुपस्थिति में प्रायोजक निकाय के नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और जहाँ प्रायोजक निकाय ने किसी भी नामांकित व्यक्ति को नामित नहीं किया है, तो कोई भी अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(6.) प्रबन्धक मण्डल की बैठक में राय के टकराव की स्थिति में, मुद्दा कुलाधिपति को भेजा जाएगा और ऐसे मुद्दे के सम्बन्ध में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम और विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगा।

23. अकादमिक परिषद्:

(1.) अकादमिक परिषद में कुलपति और ऐसे सदस्य होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2.) कुलपति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(3.) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के और परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के तहत वह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(4.) अकादमिक परिषद् की बैठकों का कोरम ऐसा होगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

24. वित्त समिति:

(1.) वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी।

(2.) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

25. अन्य प्राधिकार: विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

26. किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के लिए निरर्हता: कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह :

(क) विकृत चित का है और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) नैतिक अद्यमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी परीक्षा के संचालन में शामिल होने या अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

27. रिक्तियाँ से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के गठन या कार्यवाहियों में अविधि मान्य न होना: विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के गठन में किसी रिक्तियों या दोष के कारण विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार की कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

28. समितियों का गठन: विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के सन्दर्भ में ऐसी शर्तें आवश्यक हो सकती हैं, जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

अध्याय-V
परिनियम, अध्यादेश और विनियम

29. परिनियम:

(1.) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मुद्दों के लिए परिनियम प्रावधानित कर सकते हैं, अर्थात्:

(क) समय-समय पर गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ख) कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्तियों के नियम और शर्तें; उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ग) कुलसचिव और मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्तियों के तरीके और नियम और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) अन्य अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्तियों के तरीके और नियम और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें;

(च) कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामलों में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(छ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ज) विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट और विद्यार्थियों को छात्रवृति और फेलोशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रावधान;

(झ) विभागों और संकायों का सृजन, पुनर्गठन या समाप्त करना;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग का तरीका;

(ट) सीटों के आरक्षण के विनियम सहित प्रवेश के लिए नीतियों को तैयार करना;

(ठ) पदों के सृजन और समाप्त करने की प्रक्रिया;

(ड) विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस; तथा

(ढ) अन्य मामले जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2.) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम प्रबन्ध मण्डल द्वारा बनाया जाएगा और इसे अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3.) शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम परिनियम पर विचार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, जैसा कि वह आवश्यक समझे, इसे अनुमोदित करेगा।

(4.) प्रबन्ध मण्डल, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित प्रथम परिनियम को अपनी सहमति के सन्दर्भ में सूचित करेगी और यदि वह शासी निकाय द्वारा उप-धारा (3) के तहत किए गए किसी भी या सभी संशोधनों को प्रभावी नहीं करना चाहती है, तो वह उसके लिए कारण दे सकती है और ऐसे कारणों पर विचार करने के बाद प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों को शासी निकाय स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

(5.) विश्वविद्यालय, शासी निकाय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रथम परिनियम को प्रकाशित करेगा, और उसके बाद, प्रथम परिनियम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

30. परिनियमों को संशोधित करने की शक्ति: प्रबंध मण्डल, शासी निकाय के अनुमोदन से, नए अतिरिक्त परिनियम बना सकता है या परिनियमों में संशोधन या परिनियमों को निरस्त कर सकता है।

31. विनियम:

(1.) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित विषयों में या सभी में या किन्हीं में विनियम उपबन्धित कर सकते हैं, अर्थात्-:

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियाँ और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(घ) फेलोशिप, छात्रवृति, स्टूडेंटशिप, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन और परीक्षा निकायों, परीक्षक निरीक्षकों, सारणियकों एवं मध्यस्थों के कर्तव्य और उनकी नियुक्ति की विधि एवं शर्तें;

(च) अन्य सभी मामले जो अधिनियम के तहत परिनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं।

(2.) विनियम अकादमिक परिषद् द्वारा बनाए जाएँगे और प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित होंगे।

32. विनियमों को संशोधित करने की शक्ति: अकादमिक परिषद्, प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकती है या विनियमों में संशोधन या निरस्त कर सकती है।

33. अध्यादेश: विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा अध्यादेशों को बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है, तदुपरान्त जिसकी पुष्टि शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

34. राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्तियाँ:

(1.) राज्य सरकार शिक्षण के मानकों, परीक्षा और शोध या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य मुद्दे को अवधारण करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार आकलन किए जाने को प्रेरित कर सकती है,जैसा उचित समझे।

(2.) राज्य सरकार इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनुसंशाएँ विश्वविद्यालय को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेजेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय अपना सकता है और अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर सकता है।

(3.) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के तहत दी गई अनुशंसाओं का अनुपालन यथोचित समय में करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझें। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय-VI

विश्वविद्यालय की निधियाँ

35. अक्षय निधि:

(1.) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ एक अक्षय निधि स्थापित करेगा।

(2.) अक्षय निधि का उपयोग सुरक्षा जमा के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों या इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार के पास अक्षय निधि के एक हिस्से या पूरी निधि को जब्त करने की शक्ति होगी।

(3.) विश्वविद्यालय, अक्षय निधि की आय का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर सकता है, और विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता है।

(4.) विश्वविद्यालय के अक्षय निधि को उस प्रकार से निवेश करने की शक्ति होगी जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो।

(5.) विश्वविद्यालय के विघटन की दशा को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में धन को अक्षय निधि से अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

36. सामान्य निधि:

(1.) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य निधि कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएँगे,अर्थात्:-

i. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क और अन्य लागत;

ii. प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई भी योगदान;

iii. अपने उद्देश्य को पूरा करने के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परामर्श कार्य और अन्य कार्यों से प्राप्त कोई भी आय;

iv. न्यास, वसीयत, दान, बंदोबस्ती और कोई अन्य अनुदान; और

v. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ।

(2.) सामान्य निधि में जमा निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अध्याय-VII

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

37. वार्षिक प्रतिवेदन: विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

38. वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण:

(1.) विश्वविद्यालय द्वारा बैलेंस-शीट सहित वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और वार्षिक लेखा का प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा।

(2.) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति 31 दिसम्बर से पहले राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

अध्याय-VIII

विश्वविद्यालय का समापन

39. विश्वविद्यालय का समापन:

(1.) यदि प्रायोजक निकाय अपने गठन या निगमन का संचालन करने वाले नियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को भंग करने का प्रस्ताव देता है तो इसे कम-से-कम छह महीने पहले राज्य सरकार को सूचना देनी होगी।

(2.) राज्य सरकार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए प्रायोजक निकाय के विघटन की तारीख से लेकर विश्वविद्यालय में दाखिल किए गए अन्तिम बैच के विद्यार्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम पूरा होने तक विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी और प्रायोजक निकाय की जगह पर एक प्रशासक की नियुक्ति करके विश्वविद्यालय के काम-काज को जारी रख सकती है। इस प्रशासक को प्रायोजक निकाय की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा की इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया होगा।

40. विश्वविद्यालय का विघटन:

(1.) विश्वविद्यालय का विघटन करने की मंशा रखने वाले प्रायोजक निकाय को इस उद्देश्य से निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को सूचना देनी होगी। राज्य सरकार उचित सोच-विचार के बाद जैसा निर्दिष्ट किया गया हो उस तरीके से विश्वविद्यालय को भंग कर सकती है:

परंतु विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब नियमित पाठ्यक्रमों वाले विद्यार्थियों ने उनके पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हों और उन्हें डिग्री, डिप्लोमा और अवार्ड, जैसा भी मामला हो, प्रदान कर दिए गए हों।

(2.) विश्वविद्यालय का विघटन होने पर इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ निर्धारित तरीके से प्रायोजक निकाय में निहित होंगी ।

(3.) जब राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेगी, वह संचालक मण्डल की शक्तियों को नियत तरीके से समान उद्देश्यों वाले अन्य समाजों को तब तक निहित कर सकती है जब तक उप-धारा (1) के तहत विश्वविद्यालय का विघटन प्रभावी न हो जाए।

41. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ:

(1.) जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान, नियम, परिनियम या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के तहत राज्य द्वारा जारी किए गए किसी दिशा-निर्देश का हनन किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबन्ध या खराब प्रशासन की कोई स्थिति उत्पन्न हुई है, तो यह पैंतालीस दिनों के भीतर प्रशासक की नियुक्ति न की जाने की वजह बताने के लिए विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2.) उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि यह प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियम,परिनियम या अध्यादेशों या इसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन या वित्तीय कुप्रबन्धन या खराब प्रशासन का मामला है, तो वह ऐसी जाँच का आदेश देगा जिसे वह आवश्यक समझे।

(3.) राज्य सरकार उप-धारा (2) के तहत इस प्रकार की किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, किसी भी आरोप की जाँच करने के लिए और उस पर प्रतिवेदन बनाने के लिए जाँच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4.) उप-धारा (3) के तहत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट में निहित हैं, अर्थात्:-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ दिलवाकर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी भी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज और पेश करने की आवश्यकता जो साक्ष्य में पूर्वानुमेय हो;

(ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की माँग करना।

(5.) उप-धारा (3) के तहत नियुक्त अधिकारी और अधिकारियों से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान, नियम,परिनियम या अध्यादेशों या इसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबन्धन या खराब प्रशासन की स्थिति उत्पन्न हुई है जो विश्वविद्यालय के अकादमिक मानक के लिए खतरा है, तो वह एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है।

(6.) उप-धारा (5) के तहत नियुक्त किया गया प्रशासक इस अधिनियम के तहत शासी निकाय और प्रबन्ध मण्डल की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के सभी मामलों की व्यवस्था तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तिम बैच के विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे न कर लिए हों और उन्हें डिग्री, डिप्लोमा और अवार्ड, जैसा भी मामला हो,प्रदान कर दिए गए हों।

(7.) नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तिम बैच के विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किए जाने के बाद प्रशासक राज्य सरकार को इस आशय का एक प्रतिवेदन देगा।

(8.) उप-धारा (7) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को भंग कर देगी और विश्वविद्यालय भंग होने पर इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ प्रायोजक निकाय में निहित होंगी।

अध्याय-IX

विविध

42. अस्थायी प्रावधान: नियमों और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में शामिल किसी अन्य बात के बावजूद-

(1.) प्रथम कुलपति और प्रतिकुलपति, यदि कोई हों तो, की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी;

(2.) प्रथम कुलसचिव और प्रथम मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी; तथा

(3.) प्रथम प्रबन्ध मण्डल,प्रथम वित्त समिति और प्रथम अकादमिक परिषद् का गठन कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

43. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति:

(1.) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2.) इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियमों को सदन के अगले सत्र के 30 दिनों के भीतर राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

44. समस्याओं को दूर करने की शक्ति:

(1.) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो जैसा यह समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक या व्यवहारिक प्रतीत होता है राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बनाएगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

(2.) इस धारा के तहत बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद जितना जल्दी हो सके राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची 'ए'

(1) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-DTESec2/PPP -1/2021/HTSED -917, दिनांक-17.10.2022 एवं तदुपरांत प्रायोजित निकाय एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के बीच हुए रियायत समझौते, दिनांक 19.10.2022 के अनुसार प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित जैन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, गोला, रामगढ़ की 16.8 एकड़ की भूमि (भवन, अन्य निर्माण, चल अथवा अचल संपत्ति, यदि कोई हो, के साथ) का अनन्य अधिकार और प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जिसे रियायत समझौता की अनुसूची-1 में वर्णित और दिखाया गया है। प्रस्तावित जैन विश्वविद्यालय एक मल्टीडिसप्लनेरी विश्वविद्यालय है, प्रायोजक निकाय दो साल के भीतर इसके मुख्य परिसर के लिय शेष 8.2 एकड़ जमीन अधिग्रहित करें। एकीकृत परिसर में कुछ आम सुविधाएँ होगी, जैसे सभागार, जलपानगृह, छात्रावास आदि और इसके अनुसार जमीन की आवश्यकता भिन्न हो सकती है।

(2) विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने से 3 वर्ष के अन्दर, प्रायोजक निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के पास कम से कम एक हजार वर्ग मीटर (1000 वर्ग मीटर) का प्रशासनिक भवन और पुस्तकालय, व्याख्यान नाट्यशालाओं, प्रयोगशालाओं सहित दस हजार वर्ग मीटर (10000 वर्ग मीटर) का अकादमिक भवन होगा। शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवास, अतिथिशालायें, छात्रावास, जिसे सभी पाठ्यक्रम के कम से कम 25% विद्यार्थियों की कुल संख्या के समायोजन हेतु धीरे धीरे बढाया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय अध्ययन के व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, तो प्रचलित मानदंडों और सम्बन्धित वैधानिक निकाय के मानक लागू होंगे। मौजूदा संस्थानों को राज्य सरकार के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए विस्तार/जीर्णोद्धार/नवीनीकरण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।

(3) रियायत समझौतेकी अवधि के दौरान, प्रायोजक निकाय, रियायत समझौते दिनांक-19.10.2022 एवं LOI दिनांक-12.10.2022 के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय झारखंड में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के मॉडल दिशा-निर्देशों का हर समय पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

जैन विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एवं हेतु इस प्रकार हैः-

1. 'जैन विश्वविद्यालय' नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

2. विश्वविद्यालय का एक स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य होगा और उन क्षेत्रों में कार्यक्रमों, अनुसंधान और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनका मानव विकास पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है।

3. विश्वविद्यालय का झारखण्ड राज्य के भीतर होगा, रामगढ़ जिला में स्थित होगा।

4. शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल, अकादमिक परिषद, कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, वित्त एवं लेखा अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी, जबतक वे विश्वविद्यालय के पद पर या सदस्य बने रहते हैं, तब तक वे विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

5. विश्वविद्यालय गैर-सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, और यह किसी अन्य कॉलेज या संस्थान को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करने और उसमें प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देने के लिए सम्बद्ध नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय जैन विश्वविद्यालय नाम से एक निगमित निकाय होगा जो सतत पद प्राप्ति अनुक्रम एवं सामान्य प्रतिज्ञा के तहत संचालित होगा, और उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पत्ति के अधिग्रहण और उसका स्वामित्व रखने, संविदा पर देने और दिए गए नाम पर वाद चलाने का अधिकार होगा, यादि नाम से जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

7. विश्वविद्यालय को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कोई सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित किया जाय।

अतः उपर्युक्त के निमित यह विधेयक प्रस्तुत है।

(हेमन्त सोरेन)
भार साधक सदस्य